

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(के-212/89)/अलेसे-11/

763

दिनांक:- 17/7/2017

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश प्रसाद मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1145-1151 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा दिनांक 30.08.2016 को ट्रेप करने एवं न्यायाधिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 30.08.2016 से निलम्बित किया गया था। श्री कैलाश प्रसाद मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मीना ने दिनांक 28.02.2017 के द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के अनुसरण में श्री कैलाश प्रसाद मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निल.) को दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में दिनांक 01.03.2017 से 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(के-212/89)/अलेसे-11/

763

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक:- 17/7/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।
3. कोषाधिकारी, भरतपुर/दौसा।
4. श्री कैलाश प्रसाद मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निल.), मुख्यालय, कोष कार्यालय, दौसा।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/पदस्थापन सीट/एसोपी सीट/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सांवरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)